



समग्र शिक्षा  
Samagra Shiksha



## कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक—एस0एस0ए0/अला0समूह चतुर्थ लॉटरी/5438-42 /2024-25 दिनांक: 12 जुलाई, 2024

### आदेश

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक

IDEAL PUBLIC SCHOOL KARHAL ROAD SIRSAGANJ FIROZABAD -9160703602  
VILL GHUDIYA TIKUR POST UKHREND DIST. FIROZABAD  
ARAON

विषय—अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के बच्चों का कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आवेदक (अभिभावक) द्वारा वेबपोर्टल ([www.rte25.upsdc.gov.in](http://www.rte25.upsdc.gov.in)) पर प्रस्तुत ऑन लाईन आवेदन के अनुक्रम में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस-पास के गैर सहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के परिवार के बच्चों को कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक के बच्चों की संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—आर0टी0ई0/11563/2023-24 दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के अनुपालन एवं चतुर्थ लॉटरी दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद के अनुमोदन दिनांक— 10 जुलाई, 2024 के क्रम में विद्यालयों में उक्त प्रवेश दिया जाना है। प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-538/79-6-2013 दिनांक— 20 जून, 2013 के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम— 8 (2) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रति बालक/बालिका अधिकतम रू0 450.00 प्रतिमाह शुल्क प्रतिपूर्ति निर्धारित की गई है। प्रतिपूर्ति हेतु प्रति बालक विद्यालय का वास्तविक शुल्क या रू0 450.00 से जो भी कम होगा, देय होगा। संदर्भित विद्यालय, धारा 12 की उपधारा 02 के अधीन शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पृथक बैंक खाता अनुरक्षित रखेगा।

आपको आदेशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार 01 बच्चे/बच्चों का कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में निःशुल्क प्रवेश करना सुनिश्चित करें तथा आपके द्वारा बच्चे/बच्चों के प्रवेश सम्बन्धी अभिलेख (फोटो, आधारकार्ड, जन्म प्रमाणपत्र/शपथपत्र, जाति व आय प्रमाणपत्र आदि) प्रवेश के समय अभिभावक से प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

संलग्नक— उक्तवत्।

(आशीष कुमार पाण्डेय)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
फिरोजाबाद।

पृ0सं0 व दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
02. मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
03. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अरौव को इस निर्देश के साथ कि उक्त बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराकर अधोहस्ताक्षरी को निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
04. अभिभावक को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
फिरोजाबाद।